रजिस्ट्री सं. डीएल—(एन) 04/0007/2003--24 REGISTERED No. DL—(N) 04/0007/2003—24

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-15062024-254716
CG-DL-W-15062024-254716

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24] नई दिल्ली, शनिवार, जून 15—जून 21, 2024 (ज्येष्ठ 25, 1946)
No. 24] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 15—JUNE 21, 2024 (JYAISTHA 25, 1946)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.	455
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	539
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	1
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	2375
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).	*
भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.	*
भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	1769
भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	*
भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	*
भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.	5
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.	2301
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	455
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	539
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	1
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	2375
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1769
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	5
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	2301
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 जून 2024

संकल्प

सं. 5(3)-बी(पी.डी.)/2023—आम जानकारी के लिए यह घोषित किया जाता है कि वर्ष 2024-2025 के दौरान सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर दी जाने वाली ब्याज दर 1 अप्रैल, 2024 से 30 जून, 2024 तक 7.1% (सात दशमलव एक प्रतिशत) होगी। यह दर 1 अप्रैल, 2024 से लागू होगी। संबंधित निधियां निम्नलिखित हैं:—

1. सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवाएं)।
2. अंशदायी भविष्य निधि (भारत)।
3. अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि।
4. राज्य रेलवे भविष्य निधि।
5. सामान्य भविष्य निधि (रक्षा सेवाएं)।
6. भारतीय आयुध विभाग भविष्य निधि।
7. भारतीय आयुध कारखाना कामगार भविष्य निधि।
8. भारतीय नौसेना गोदी कामगार भविष्य निधि।
9. रक्षा सेवा अधिकारी भविष्य निधि।
10. सशस्त्र सेना कार्मिक भविष्य निधि।

2. आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

आशीष वच्छानी
अपर सचिव

शिक्षा मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 जून 2024

सं. 10/27/2018-यू3(ए)—जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर उच्च शिक्षण संस्थान को सम विश्वविद्यालय संस्थान घोषित करने का अधिकार है।

2. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने यूजीसी की सलाह पर अधिसूचना संख्या 9-2/2002-यू.3 दिनांक 20.10.2006 के तहत, कलासलिंगम एकेडमी ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन (केएआरई), कृष्णनकोइल, तमिलनाडु को एक निश्चित अवधि के लिए एक सम विश्वविद्यालय संस्थान के रूप में घोषित किया था। इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय की

अधिसूचना संख्या 12-25/2023-यू.3(ए) दिनांक 24.11.2023 के माध्यम से इसके सम विश्वविद्यालय का दर्जा हमेशा के लिए बढ़ा दिया गया था।

3. और इसके अतिरिक्त जबकि, कुल सचिव, केएआरई, तमिलनाडु ने अपने पत्र संख्या केएआरई/एमएचआरडी/अनुमोदन/2018 दिनांक 13 नवम्बर, 2018 के माध्यम से चेन्नई में एक ऑफ-कैंपस केंद्र शुरू करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। इसे यूजीसी (सम-विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2016 के अनुसार जांच और सलाह के लिए यूजीसी को भेजा गया था।

4. और जबकि, यूजीसी ने सूचित किया कि एक विशेषज्ञ समिति द्वारा आवेदन की जांच की गई। समिति ने संस्थान का दौरा करने और दस्तावेजों का आकलन करने के बाद, सर्वसम्मति से कलासलिंगम एकेडमी ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन (केएआरई), कृष्णनकोइल, तमिलनाडु के कलासलिंगम नगर, काजीपत्तूर गांव, तिरुपोरुर तालुक, चेन्नई में एक ऑफ-कैंपस केंद्र के अनुमोदन हेतु सिफारिश की। आयोग ने दिनांक 16.10.2019 को आयोजित अपनी 544वीं बैठक (मद संख्या 2.09) में यूजीसी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार किया और उन्हें अनुमोदित किया।

5. और जबकि, आयोग की सलाह की मंत्रालय में जांच की गई। जांच के बाद संस्थान को कुछेक बिंदुओं पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था। संस्थान द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट का यूजीसी द्वारा सत्यापन तथा अनुमोदन किया गया था।

6. और इसके अतिरिक्त जबकि, जब मामला विचाराधीन था, तब यूजीसी ने यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 को अधिसूचित किया। इन विनियमों के खंड 30 के अनुसार, केएआरई, तमिलनाडु ने एक वचनपत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उनके आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख की प्रचलित विनियमों के अनुसार उनके आवेदन पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया।

7. अत:, अब, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शिक्षा मंत्रालय द्वारा, यूजीसी की सलाह पर, कलासलिंगम एकेडमी ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन (केएआरई), कृष्णनकोइल, तमिलनाडु को शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से कलासलिंगम नगर, काजीपत्तूर ग्राम, थिरुपोरूर तालुक, चेन्नई में एक ऑफ-कैंपस केंद्र शुरू करने की मंजूरी प्रदान की जाती है।

8. चेन्नई ऑफ-कैंपस के समग्र प्रदर्शन की निगरानी आयोग द्वारा द्विवार्षिक रूप से छह वर्ष तक तथा उसके बाद पांच साल तक की जाएगी तथा प्रबंधन, शैक्षिक विकास और सुधार संबंधी आयोग के निर्देश कैंपस पर बाध्यकारी होंगे। यह अनुमति केंद्र सरकार, यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों द्वारा समय-समय पर जारी प्रासंगिक मानदंडों/नियमों/ विनियमों/ निर्देशों की अनुपालना के अध्यधीन है।

संजय कुमार
अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 10th June 2024

RESOLUTION

No. 5(3)-B(PD)/2023—It is announced for general information that during the year 2024-2025, accumulations at the credit of subscribers to the General Provident Fund and other similar funds shall carry interest at the rate of 7.1% (Seven point one percent) w.e.f. 1st April, 2024 to 30th June, 2024. This rate will be in force w.e.f. 1 April, 2024. The funds concerned are:—

1. The General Provident Fund (Central Services).
2. The Contributory Provident Fund (India).
3. The All India Services Provident Fund.
4. The State Railway Provident Fund.
5. The General Provident Fund (Defence Services).
6. The Indian Ordnance Department Provident Fund.
7. The Indian Ordnance Factories Workmen's Provident Fund.
8. The Indian Naval Dockyard Workmen's Provident Fund.
9. The Defence Services Officers Provident Fund.
10. The Armed Forces Personnel Provident Fund.

2. Ordered that the Resolution be published in Gazette of India.

ASHISH VACHHANI
Additional Secretary

MINISTRY OF EDUCATION
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 5th June 2024

No. 10/27/2018-U3(A)—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an institution of higher learning as an Institution deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide Notification No. 9-2 /2002-U.3 dated 20.10.2006, on the advice of UGC, had declared Kalasalingam Academy of Research & Education (KARE), Krishnankoil, Tamil Nadu as an Institution deemed to be University for a certain period. Further, its deemed to be University status was extended in perpetuity vide this Ministry's Notification No.12-25/2023-U.3(A) dated 24.11.2023.

3. And further whereas, the Registrar, KARE, Tamil Nadu, vide letter No. KARE/MHRD/APPROVAL/2018 dated 13th November, 2018, submitted an application for starting an Off-Campus Centre at Chennai. The same was forwarded to UGC for examination and advice as per the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016.

4. And whereas, UGC informed the application was examined through an Expert Committee. The Committee, after visiting the Institution & assessing the documents, unanimously recommended for approval of an Off-Campus Centre of Kalasalingam Academy of Research & Education (KARE), Krishnankoil, Tamil Nadu at Kalasalingam Nagar, Kazhipattur Village, Thiruporur Taluk, Chennai. The Commission considered and approved the recommendations of the UGC Expert Committee in its 544th meeting (Item No. 2.09) held on 16.10.2019.

5. And whereas, the advice of the Commission was examined in the Ministry. After examination, the Institution was asked to submit compliance report on certain points. The compliance report submitted by the Institution was verified and approved by UGC.

6. And further whereas, while the matter was under consideration, UGC notified the UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023. As per Clause 30 of these Regulations, KARE, Tamil Nadu submitted an undertaking requesting to process its application in terms of the prevailing regulations on the date of submission of their application.

7. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, on the advice of the UGC, do hereby permits Kalasalingam Academy of Research & Education (KARE), Krishnankoil, Tamil Nadu to start an off-campus centre at Kalasalingam Nagar, Kazhipattur Village, Thiruporur Taluk, Chennai from the academic year 2024-25.

8. The overall performance of the Chennai off-campus shall be monitored by the Commission biennially for six years and subsequently after five years and whose directions on management, academic development and improvement shall be binding on the Campus. This permission is further subject to the compliance of the relevant Norms/Rules/Regulations/ Directions issued by the Central Government, UGC and other Statutory Councils, from time to time.

SANJAY KUMAR
Under Secretary

महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली–110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली–110054 द्वारा ई–प्रकाशित
UPLOADED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002
AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054

Kshitiz Mohan Digitally signed by Kshitiz Mohan Date: 2024.06.15 08:59:34 +05'30'